न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

निर्णय दिनांक 10.03.2022

अपील संख्या 17 सन् 2021

श्याम पारीक पुत्र गौरीशंकर पारीक, वी.पी.ओ. बुकनसर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

– प्रार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर

– अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 15.05.2021 को लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की तल्बी की गई।

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर से दिनांक 07.03.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति सरदारशहर से संबंधित होने से आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति, सरदारशहर को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

सुनवाई के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी अपीलांट के आवेदन को नगरपालिका सरदारशहर से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सरदारशहर को हस्तान्तरित तो कर दिया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा हस्तानान्तरण भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगरपालिका, सरदारशहर से संकलित कर अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे तथा भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को, जिनमें हस्तानान्तरण किया जाना उचित हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में ही करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरू